

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9969	983	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2206	3	0	1800
3	असम	4707	75	0	0
4	बिहार	8067	-	0	0
5	छत्तीसगढ़	6147	-	1	4008
6	गोवा	820	394	0	0
7	गुजरात	9724	575	0	0
8	हरियाणा	1467	1462	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	-	-	0	0
11	झारखंड	1035	-	0	0
12	कर्नाटक	13062	312	0	24134
13	केरल	2577	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1102	0	0
15	महाराष्ट्र	57616	1211	0	22000
16	मणिपुर	60	121	0	0
17	मेघालय	941	66	8	0
18	मिज़ोरम	350	66	0	0
19	नगालैंड	1536	40	0	0
20	उड़ीसा	15688	1765	102	37930
21	पुदुचेरी	455	-	0	500
22	पंजाब	6368	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	7900
24	तमिलनाडु	8047	-	18	3373
25	तेलंगाना	6804	1485	0	0
26	त्रिपुरा	834	16	0	825
27	उत्तराखंड	4239	173	0	0
28	उत्तर प्रदेश	4729	-	116	0
29	पश्चिम बंगाल	10925	798	239	0
	कुल	178371	10646	612	102469

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के ट्रेजरी बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।